राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 2204/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
केदार प्रसाद कमल न्यायालय परिसर, तिजारा, अलवर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त शासन सचिव राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-05-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री मनीष कुमार जैन, वरिष्ठ सहायक, व श्री बाबूलाल मीणा, अनुभागाधिकारी उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 15-11-2016 के द्वारा कस्टोडियन पत्रावली मांगेराम बनाम सरकार एसडीओ तिजारा द्वारा रजिस्टर्ड डाक दिनांक 20-03-2015 से कलेक्टर अलवर को भेज दी गयी थी जिसके आवक जावक शाखा द्वारा की गई व पत्रावली पर की गई कार्यवाही की 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 03-05-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है जो एसडीएम तिजारा ने पत्रावली जिला कलेक्टर अलवर को भेजी थी उसको आवक में दर्ज करने एवं उस पर की गई कार्यवाही की सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्रत्यर्थी जिला कलेक्टर अलवर की ओर से बताया गया कि अपीलार्थी ने सूचना का आवेदन जिला कलेक्टर अलवर को पेश किया था। प्रथम अपील राजस्व शासन को पेश करी जो दिनांक 10-05-2017 को खारिज कर दी गई है। द्वितीय अपील में प्रत्यर्थी संयुक्त सचिव, राजस्व ग्रुप-10 को बनाया गया, उन्होंने बताया कि इस सूचना से उनका कोई संबंध नहीं है। प्रत्यर्थी ने यह भी बताया कि आवेदन पर जिला कलेक्टर कार्यालय में आवक-जावक शाखा से रिपोर्ट ली गई जिस पर संबंधित पत्रावली का कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। इस बाबत अपीलार्थी को

समय पर यह अवगत कराया गया है कि पत्रावली कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। पत्र दिनांक 27-01-2017 से उप खण्ड अधिकारी तिजारा को संबंधित दोषी कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही करने को लिखा गया है। पत्र दिनांक 23-11-2016 से मुख्य डाक घर अलवर को पार्सल पैकिट के बारे में लिखा गया है। वांछित सूचना की पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 04-05-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर से उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ प्रत्यर्थी के द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख को संलग्न किया है।

7. अपीलार्थी को वांछित सूचना के बाबत प्रत्यर्थी ने संसूचित किया है तथा की गई कार्यवाही के पत्रों का एक सेट सुनवाई के समय प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को उपलब्ध कराया है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त